भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2902

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : राजस्थान के जैविक कृषि जोन

2902. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा जैविक खेती जोनों को बनाने के लिए राजस्थान सरकार के साथ मिलकर कोई विशेष पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार राजस्थान राज्य सहित प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के एक घटक परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई योजना जैविक किसानों को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक शुरू-से-अंत तक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का प्राथमिक फोकस एक क्लस्टर में जैविक क्लस्टर बनाने पर है जहाँ छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखला बनाने में सहायता मिल सके।

पीकेवीवाई योजना के तहत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों में कुल 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों को ऑन फार्म और ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए सीधे प्रदान किए जाते हैं, 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए, 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए और 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं। किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र का लाभ उठा सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई योजना के तहत 33 जिलों में 2.18 लाख किसानों को शामिल करते हुए 1.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत कवर किया गया है।

*****